



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 नवम्बर, 2021

कार्तिक 21, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (संस्थागत) अनुभाग-35

संख्या 598 बी/वि० (सं०) अनु-35-2021

लखनऊ, 12 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-382

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2019) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 30 को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के समस्त मण्डलायुक्तों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी और उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समस्त अपर आयुक्तों (प्रशासन) को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए नियुक्त करती हैं।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनों के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती हैं।

आज्ञा से,  
एस० राधा चौहान,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 598B/V.(S.)ANU-35-2021, dated November 12, 2021:

No. 598B/V.(S.)ANU-35-2021

*Dated Lucknow, November 12, 2021*

IN exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Act no. 21 of 2019) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor is pleased to appoint all Divisional Commissioners in the State as Competent Authority within their jurisdiction for the purposes of the said Act, except for section 30 of the said Act and all Additional Commissioners (Administration) within their respective jurisdictions to assist the Competent Authority in discharging its function for the purposes of the said Act.

Under the aforesaid sub-section (1), the Governor is further pleased to appoint the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Home Department as the Competent Authority for the purposes of section 30 of the said Act.

By order,

S. RADHA CHAUHAN,  
*Apar Mukhya Sachiv.*